

कार्यालय जिला कलेक्टर, भरतपुर
अपील / आरटीआई / 98 / 2023

श्री राजेश शर्मा पुत्र स्व० श्री भगवती प्रसाद शर्मा, सी-26, सुभाष नगर,
भरतपुर

.....अपीलार्थी

बनाम

लोक सूचना अधिकारी, उपखण्ड अधिकारी, डीग जिला भरतपुर

...रेस्प०

अपील अन्तर्गत सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

आदेश

दिनांक 19.7.2023

अपीलार्थी श्री राजेश शर्मा पुत्र स्व० श्री भगवती प्रसाद शर्मा, सी-26, सुभाष नगर, भरतपुर की यह अपील सूचना का अधिकार का अधिनियम के तहत इस आशय की प्राप्त हुई है कि अपीलार्थी ने सूचना अधिकार अधिनियम के तहत जरिये प्रार्थना पत्र दिनांक 27-04-2023 के द्वारा लोक सूचना अधिकारी, उपखण्ड अधिकारी, डीग से सूचना चाही थी। लोक सूचना अधिकारी, उपखण्ड अधिकारी, डीग द्वारा प्रार्थी को सूचना उपलब्ध नहीं कराये जाने के कारण यह अपील प्रस्तुत की गई है।

अपील दर्ज रजिस्टर की गई। इस कार्यालय के पत्र क्रमांक / कोर्ट / 410 दिनांक 23.6.2023 के द्वारा अपील की प्रति भेजते हुये लोक सूचना अधिकारी, उपखण्ड अधिकारी, डीग से अपीलार्थी को सूचना उपलब्ध नहीं कराये जाने वावत रिपोर्ट तलब की गई। लोक सूचना अधिकारी, उपखण्ड अधिकारी, डीग से जवाब पत्र क्रमांक / आरटीआई / 23 / 2681 दिनांक 5.7.2023 प्राप्त हुआ जो शामिल पत्रावली किया गया।


पत्रावली का अवलोकन किया गया। अपीलार्थी ने अपने आर.टी.आई. प्रार्थना पत्र दिनांक 27.4.2023 के द्वारा रिकार्ड का निरीक्षण करने के लिये उपखण्ड अधिकारी डीग पेश किया गया था, अपीलान्त का अपील में कथन है कि लोक सूचना अधिकारी ने चाहे गये दस्तावेजों का अवलोकन नहीं करने दिया गया तथा भ्रामक एवं गलत सूचना प्रदान की गई है। इस सम्बन्ध में लोक सूचना अधिकारी, उपखण्ड अधिकारी, डीग ने अपने पत्र जवाब दिनांक 5.7.2023 में अंकित किया है कि अपीलार्थी / प्रार्थी द्वारा चयनित दिनांक 29.5.2023 को कार्यालय में उपस्थित होकर दस्तावेजों / अभिलेखों का अवलोकन किया जा चुका है।

.....2

(2)

अपील/आरटीआई/29 /2023
अजय चन्द बनाम तहसीलदार कुम्हेर

लोक सूचना अधिकारी, उपखण्ड अधिकारी डीग के जबाब से स्पष्ट है कि अपीलान्त को सूचना दी जा चुकी है तथा रिकार्ड का अवलोकन कराया जा चुकी है। अस्तु अपील खारिज की जाती है। आदेश की प्रति लोक सूचना अधिकारी उपखण्ड अधिकारी, डीग को प्रेषित हो एवं अपीलार्थी को (उपखण्ड अधिकारी, डीग से प्राप्त पत्रादि की फोटो प्रति सलंगन) कर प्रेषित की जावे। इस आदेश से सन्तुष्ट ना होने पर अपील राजस्थान सूचना आयोग, जवाहर लाल नेहरु मार्ग जयपुर में की जा सकती है।


(लोक बंधु)
जिला कलक्टर,
भरतपुर